भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462 016

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्र. 1846–मप्रविनिआ–2023.– विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) तथा धारा 181(2) (यक एवं यख) सहपठित धारा 57, 59 तथा 86(1) (झ) और यथासंशोधित विद्युत् (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2012 {क्रमांक आरजी – 8(II), वर्ष 2012} जिन्हें एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधित करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2012 में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .–** 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2012 (द्वितीय संशोधन) {एआरजी–8(II)(ii), वर्ष 2023} कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे.

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा.

2. मूल विनियमों के परिशिष्ट–अ में संशोधन ,–

मूल विनियमों के परिशिष्ट–अ के अनुच्छेद (ix) के स्थान पर निम्न अनुच्छेद (ix) स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

सेवा क्षेत्र	**प्रत्याभूतित मानदण्ड**	**प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति**
(ix) समयावधि जिसके भीतर देयक जारी किया जाना अपेक्षित है.	भुगतान की नियत तिथि से न्यूनतम दस दिवस पूर्व	यदि चालू देयक की राशि रु. 500 या उससे कम हो, तो विलम्ब की अवधि हेतु रु. 10 प्रति दिवस (अथवा उसका कोई अंश) तथा यदि चालू देयक की राशि रु. 500 से अधिक हो, तो चालू देयक की राशि का 2% जिसे रु. 100 प्रति दिवस (अथवा उसका कोई अंश) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जायेगा.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 17th August 2023

No 1846-MPERC-2023 .– In exercise of the powers conferred under section 181(1) and 181(2) (za & zb) read with Section 57, 59 and 86 (1) (i) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, as amended, and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Madhya Pradesh

Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) (Revision-II) Regulations, 2012 (No. RG -8 (II) of 2012), herein after referred to as the "Principal Regulations", namely :-

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (DISTRIBUTION PERFORMANCE STANDARDS) (REVISION-II) REGULATIONS, 2012

1. **Short title and Commencement.**- 1.1 These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Distribution Performance Standards) (Revision-II) Regulations, 2012 (Second Amendment) {ARG-8(II) (ii) of 2023}.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

1.3 These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Appendix A of the Principal Regulations ,-

Article (ix) of Appendix A of the Principal Regulations shall be substituted by the following, namely :-

Service Area	**Guaranteed Standards**	**Compensation Payble to Affected consumers**
(ix) Time Period Within which bills are to be served.	Atleast 10 days prior to due date of payment	Rs. 10 per day (or part thereof) of delay, if the current bill amount is less than or equal to Rs. 500 and 2% of current bill amount rounded off to nearest integer, subject to ceiling of Rs. 100 per day (or part thereof) of delay, if the current bill amount is more than Rs. 500.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.